This question paper contains 4+1 printed pages]

8001

LL.B. (Third Year) EXAMINATION, 2018

LAW OF EVIDENCE

First Paper

Time allowed : Three Hours

Maximum Marks : 100

Part A (खण्ड 'अ') [Marks : 5×8=40]

Candidates are required to answer all questions in Part A.(150 words each).

***All** questions carry equal marks.*

खण्ड 'अ' में **सभी** प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **150** शब्दों से अधिक न हो।

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Part B (खण्ड 'ब') [Marks : 4×15=60]

*Answer any **four** questions.(300 words each).*

***All** questions carry equal marks.*

किन्हीं **चार** प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **300** शब्दों से अधिक न हो।

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Part A (खण्ड 'अ')

1. (*a*) "Previous judgement is relevant to bar a second suit or trial." Explain this statement with help of procedural law's provisions.

P.T.O.

"द्वितीय वाद या विचारण के वारणार्थ पूर्व निर्णय सुसंगत है।" इस कथन को प्रक्रियात्मक कानूनों के उपबंधों की सहायता से समझाइये।

(b) Admissibility of electronic records.

इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता।

(c) Factum Probandum and Factum Probans.

मुख्य तथ्य और साक्ष्यात्मक तथ्य

(d) Conditions necessary for acceptable identification evidence.

स्वीकार्य पहचान-साक्ष्य के लिए आवश्यक शर्तें।

(e) What are differences between 'Trap Witness' and 'Hostile Witness' ?

'पाश साक्षी' व 'पक्ष द्रोही साक्षी' में क्या अंतर हैं?

Part B (खण्ड 'ब')

2. Discuss the necessary conditions for refreshing memory of witness under Indian Evidence Act 1872.

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन स्मृति ताजा करने की आवश्यक शर्तों की चर्चा कीजिये।

3. In criminal cases previous good character of accused is relevant and previous bad character of accused is not relevant, except in reply but there is a question whether an act was accidental or "intention", or done with a particular 'knowledge' or intention, the fact that such act formed part of a series of similar occurrence, in which the person doing the act was concerned, is relevant. Explain with help of illustrations.

दाण्डिक मामलों में अभियुक्त का पूर्वतन अच्छा शील सुसंगत है, उत्तर में होने के सिवाय अभियुक्त का पूर्वतन बुरा शील सुसंगत नहीं है लेकिन प्रश्न यह है कि कार्य आकस्मिक था या किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से किया गया था, तब यह तथ्य कि ऐसा कार्य समरूप घटनाओं की आवली का भाग था जिनमें से हर एक घटना के साथ वह कार्य करने वाला व्यक्ति संपृक्त था, सुसंगत है। दृष्टांतों की सहायता से समझाइये।

4. Under what circumstances can oral evidence of agreement or statement be admissible for the purposes of contradicting, varying, adding to or subtracting form the terms of a written contract, grant or disposition of property ?

किन परिस्थितियों में मौखिक करार या कथन का साक्ष्य एक लिखित संविदा, अनुदान, या सम्पत्ति के अन्य व्ययन की शर्तों या निबंधनों का खंडन करने या उनमें फेरबदल करने या जोड़ने या घटाने के प्रयोजन के लिए ग्राह्य की जा सकती हैं?

5. Facts which are the occasion cause or effects or preparation or conduct of fact in issue, whether are they relevant ? Explain.

क्या वे तथ्य जो विवाद्यक तथ्यों के प्रसंग, हेतु या परिणाम अथवा तैयारी और आचरण से संबंधित हैं, सुसंगत हैं? स्पष्ट कीजिए।

6. Explain differences between Judicial Notice and presumptions of existence of facts by court. What are the effects of these kind Notice and presumptions ?

न्यायिक अवेक्षा और न्यायालय द्वारा किसी तथ्य के अस्तित्व की उपधारणा में अंतर को समझाइये। इस प्रकार की अवेक्षा और उपधारणा के क्या प्रभाव हैं?

7. 'Confession to police officer' and 'confession under police custody' is not relevant, but relevancy of custodial confession depends on procedure law and fact which is discovery'. Do you agree with this statement ? Explain.

'पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति' और पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति सुसंगत नहीं होती है, लेकिन अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति की सुसंगतता प्रक्रियात्मक कानून और जानकारी से खोजे तथ्य पर निर्भर करती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? समझाइये।

8. The oral evidence must be in all cases direct. Discuss this rule and point out also the exceptions of this rule.

मौखिक साक्ष्य सभी अवस्थाओं में प्रत्यक्ष होना चाहिए। इस नियम की विवेचना कीजिये व इसके अपवाद बताइये।